

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
मे जारी हु

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)
श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)

1. रामजीलाल पुत्र गोटे जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर मीना तह0 बाडी

बनाम

2. सुनीता मीना पत्नी स्व0 मुन्ना उर्फ रामनिवास
3. दुर्गेश पुत्री स्व0 मुन्ना उर्फ रामनिवास } नाबालिगान सरपरस्ती माँ
4. नागेश पुत्र मुन्ना उर्फ रामनिवास } खुद सुनीता मीना
5. जातिगण मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना तह0 बाडी हाल निवासी चतुर्थ श्रेणी
6. कर्मचारी कार्यालय पंचायत समिति सार्दुल शहर जिला गंगानगर
7. भीमति उर्फ श्रीमति पत्नी स्व0 रामदास
8. नरगेश पुत्री स्व0 रामदास } नाबालिगान सरपरस्ती माँ
9. योगेश पुत्र स्व0 रामदास } खुद भीमति उर्फ श्रीमति
10. जातिगण मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना तह0 बाडी हाल निवासी ग्राम व पोस्ट
11. कुलहौली तह0 सबलगढ जिला मुरैना म0प्र0
12. प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर
13. तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्डहोल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. 32/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं
व हाजरी श्री रूपसिंह किलेदार एड0 मिनजानिव मुद्दई श्री दिलीप कुमार शर्मा एड0
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है
दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम
डिक्री किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार खानपुर मीना तह0
बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. रामजीलाल पुत्र गोटे कौम मीना सा0देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर


खसरा नं0	रकवा	किस्म
1453/1	0-10	नहरी प्रथम
1401/1	0-14	नहरी प्रथम
1406	0-17	नहरी प्रथम

कुल किता 3 कुल रकवा 2-01

2. सुनीता पत्नी स्व0 मुन्ना उर्फ रामनिवास, नागेश नाबा0 पुत्र व दुर्गेश नाबा0 पुत्री स्व0

खसरा नं0	रकवा	किस्म
1453/3	0-10	नहरी प्रथम
1401/3	0-08	नहरी प्रथम
1400	1-04	नहरी प्रथम

कुल किता 3 कुल रकवा 2-02



उपखण्डाधिकारी

मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)

3. मीनति उर्फ श्रीमती पत्नी स्व० रामदास, योगेश नाबा० पुत्र व नरगेश नाबा० पुत्री स्व० रामदास नाबा० सरपरस्ती माँ खुद कौम मीना सा० देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
1407	0-15	नहरी प्रथम
1408	0-14	नहरी प्रथम
1453/2	0-10	नहरी प्रथम
1401/2	0-03	नहरी प्रथम

कुल किता 4 कुल रकवा 2-02

4. रामजीलाल पुत्र गोटे हि० 1/3 राहिन एस०बी०आई० शाखा धौलपुर व सुनीता पत्नी स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास, नागेश नाबा० पुत्र व दुर्गेश नाबा० पुत्री स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास हि० 1/3 हि० बा० नाबा० सरपरस्ती माँ खुद व भीमति उर्फ श्रीमती पत्नी स्व० नाबा० सरपरस्ती माँ खुद कौम मीना सा० देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
1453/4	0-01	गै० मु० चाह

कुल किता 1 कुल रकवा 0-01

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्की का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

नोट मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर को अदा करें।

बीसवी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक माह 07 साल 2018 को वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31

दस्तखत
 ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडीकारी
 बाडी (धौलपुर) राज

मुहर	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
इन्द्राज			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील) रू०		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक				मीजान	

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

उनवान

सुनीता

रामजीलाल

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र गोटे जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर मीना तह० बाडी

वादी :-

बनाम

1. सुनीता मीना पत्नी स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास
2. दुर्गेश पुत्री स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास } नाबालिगान सरपरस्ती माँ
3. नागेश पुत्र मुन्ना उर्फ रामनिवास } खुद सुनीता मीना
4. जातिगण मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना तह० बाडी हाल निवासी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय पंचायत समिति सार्दुल शहर जिला गंगानगर
5. भीमति उर्फ श्रीमति पत्नी स्व० रामदास } नाबालिगान सरपरस्ती माँ
6. नरगेश पुत्री स्व० रामदास } खुद भीमति उर्फ श्रीमति
7. योगेश पुत्र स्व० रामदास } जातिगण मीना निवासीगण ग्राम खानपुर मीना तह० बाडी हाल निवासी ग्राम व पोस्ट कुलहौली तह० सबलगढ जिला मुरैना म०प्र०

प्रतिवादीगण :-

7. प्रबन्धक एस०बी०आई० शाखा धौलपुर
8. तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्डहोल्डर

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री रूपसिंह किलेदार एड०
प्रति० के वकील - श्री दिलीप कुमार शर्मा एड०

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा०का० अधि०

दिनांक :- 31.07.2018

दावा सं. 32/2018

निर्णय

दावा वादी दिनांक 16.07.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जा
विवादित आराजी ख०नं० 1400/1-04, 1401/1-05, 1406/0-17, 1407/0-
1408/0-14, 1453/1-11 स्थित बांके ग्राम खानपुर मीना तह० बाडी जिला धौलपुर में
हिस्सा 1/3 व प्रति० सं० 1 लगा० 3 हिस्सा 1/3 व प्रति० सं० 4 लगा० 6 हिस्सा 1/3
मध्य मुताबिक हिस्सा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथ
डिक्री की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायाल
प्रस्तुत किये। तत्पश्चात बहस कुर्रैजात पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभ

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

द्वारा कुर्रेजात के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। मेरी राय में वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार खानपुर मीना तह० बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. रामजीलाल पुत्र गोटे कौम मीना सा०देह खातेदार राहिन एस०बी०आई० शाखा धौलपुर

खसरा नं०	रकवा	किस्म
1453/1	0-10	नहरी प्रथम
1401/1	0-14	नहरी प्रथम
1406	0-17	नहरी प्रथम

कुल किता 3 कुल रकवा 2-01

2. सुनीता पत्नी स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास, नागेश नाबा० पुत्र व दुर्गेश नाबा० पुत्री स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास नाबा० सरपरस्ती माँ खुद कौम मीना सा०देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
1453/3	0-10	नहरी प्रथम
1401/3	0-08	नहरी प्रथम
1400	1-04	नहरी प्रथम

कुल किता 3 कुल रकवा 2-02

3. भीमति उर्फ श्रीमती पत्नी स्व० रामदास, योगेश नाबा० पुत्र व नरगेश नाबा० पुत्री स्व० रामदास नाबा० सरपरस्ती माँ खुद कौम मीना सा०देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
1407	0-15	नहरी प्रथम
1408	0-14	नहरी प्रथम
1453/2	0-10	नहरी प्रथम
1401/2	0-03	नहरी प्रथम

कुल किता 4 कुल रकवा 2-02

4. रामजीलाल पुत्र गोटे हि० 1/3 राहिन एस०बी०आई० शाखा धौलपुर व सुनीता पत्नी स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास, नागेश नाबा० पुत्र व दुर्गेश नाबा० पुत्री स्व० मुन्ना उर्फ रामनिवास हि० 1/3 हि०बा० नाबा० सरपरस्ती माँ खुद व भीमति उर्फ श्रीमती पत्नी स्व० रामदास, योगेश नाबा० पुत्र व नरगेश नाबा० पुत्री स्व० रामदास हि० 1/3 हि०बा० नाबा० सरपरस्ती माँ खुद कौम मीना सा०देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
1453/4	0-01	गै०मु० चाह


कुल किता 1 कुल रकवा 0-01



उपखण्डाधिकारी

बाडी (धौलपुर) राज

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


सुपखण्ड अधिकारी
बाही (धौलपुर) डीराज